न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **14/2016** (आवंटन निरस्ती)

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री दामोदार लाल पिता सुन्दरलाल ब्रम्हण, निवासी खेमली, तहसील मावली
2. श्रीमती प्रेमबाई पत्नि दामोदरलाल ब्राम्हण निवासी खेमली, तहसील मावली

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थितः— श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः .....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार मावली द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भु राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियम 1970) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सहमती से उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा मिसल नम्बर 73/05 दिनांक 21.11.05 से ग्राम खेमली की बिलानाम आराजी नम्बर 975 में से 4 बिघा भूमि का आवंटन किया गया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 22.04.06 से विपक्षीगणो के नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी हक से दर्ज की जाकर उसके नवीन आराजी नम्बर 4503/4498 दर्ज किये गये। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है नाही इस भूमि पर विपक्षीगणो का कब्जा हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी के नाम दर्ज भूमि का आवंटन निरस्त कर गैर खातेदारी से बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा जानबुझकर विपक्षीगणो को जलिल व परेशान करने की नियत से गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र कौनसी धारा में प्रस्तुत किया गया है। नियम 14(4) में संशोधन कर दिया गया हैं। जिसमें आवंटीत भूमि का ठिक प्रकार से उपयोग करना होगा। विपक्षी को भुमि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया जाकर कब्जा भी दिनांक 28.01.06 को सरपंच मय मौतबिरो की मौजुदगी में विपक्षीगण को सिपुर्द कर दिया गया। अब तहसीलदार जानबुझकर उद्योगपति से मिलकर इस भूमि का आवंटन निरस्त कराना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं हैं। इस भूमि पर कब्जा होकर नियमित रूप से काश्त की जा रही हैं। चारो तरफ पत्थर का कोट बना रखा हैं। 10 वर्ष से अधिक समय से राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी से दर्ज है इस कारण विपक्षी कानुनन स्वतः उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा इस भूमि का आवंटन किसी भी सूरत में निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षी द्वारा इस भूमि का आवंटन ना तो धोखे से कराया गया है ना इसमें मिसरिप्रजेन्टेशन से आवंटन करवाया गया है नाही आवंटन नियमो के खिलाफ हुआ हैं। विपक्षी को सन् 2006 में भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया था तब से इस भूमि पर विपक्षीगण ही कब्जा काश्त हैं। आवंटन नियम 14(1) के तहत कथित भूमि अगर सार्वजनिक उपयोग के लिये आवश्यक है तो आवंटन के तीन वर्षो के अन्दर अन्दर आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं। परन्तु यहभूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं हैं। पटवारी हल्का द्वारा तरमीम पर्चा मौका दिनांक 06.07.16 विपक्षीगणो की अनुपस्थिति में बनाया गया है जिसे कानुनन देखा ही नहीं जा सकता हैं। मौके पर विपक्षी का कब्जा होकर विपक्षी की पत्थरो की कथित कोट बनी हुई है तथा हर वर्ष विपक्षी द्वारा इसमें मुंग मोठ व ज्वार की फसल बोई जाती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी को वादग्रस्त भुमि का दिनांक 21.11.05 को आवंटन कमेटी की सहमती से उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा आवंटन किया गया जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद जरिये नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 22.04.06 से किया गया। कब्जा भी मौके पर दिया गया। परन्तु बावजुद आवंटन कब्जा सिपुर्दगी के विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। भुमि को काबिल काश्त नहीं बनाया गया। मौके पर कब्जा भी नहीं किया गया। नाही आज की तारीख में मौके पर विपक्षी का कब्जा हैं। पटवारी हल्का द्वारा अपने पर्चे मौके दिनांक 06.07.16 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आवंटी द्वारा आवंटन वर्ष से आज दिनांक तक इस भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं की गई। उक्त भुमि खेमली रेल्वे स्टेशन के सामने स्थित होकर कंटेनर डिपो के पास में स्थित हैं। संलग्न जिन्स गिरदावरी संवत् 2062 से 2073 तक 12 वर्ष की खसरा गिरदावरी में कोई काश्त दर्ज नहीं होकर पड़त–पड़त अंकित हैं। जिससे भी जाहीर होता है कि भूमि पर आवंटी द्वारा कभी कब्जा काश्त नहीं की गई। ऐसी स्थिति में विपक्षी का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 21.11.05 को आवंटन कमेटी की सहमति पर उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा भूमि का आवंटन विधिवत नियमो के तहत विपक्षीगणो को किया जाकर सरपंच एवं अन्य मौतबिरानो की उपस्थिति में आवंटीत भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया। उसी दिनांक से विपक्षीगण का आवंटीत भूमि पर कब्जा काश्त होकर नियमित रूप से मूंग, मोठ, ज्वार आदि की काश्त की जा रही हैं। आवंटी द्वारा अपने पशुओ के लिये घास भी इसी भूमि में से ले जाता हैं। इस भूमि के चारो तरफ पत्थर का कोट बना हुआ हैं। विपक्षी के खाते में 10 वर्षो से गैर खातेदारी से भूमि दर्ज हैं। कानुनन स्वतः उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो

चुका हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई हैं। इस भूमि का आवंटन विपक्षीगण द्वारा धोखे से या मिसरिप्रजेन्टेशन से नहीं करवाया गया हैं। विधिवत नियमो के तहत ही आवंटन हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र इस पर लागु नहीं होता हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की कौनसी शर्तो का उल्लंघन किया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विपक्षीगणो का आवंटन कमेटी की सहमति पर उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा दिनांक 21.11.05 को वादग्रस्त भुमि का आवंटन विपक्षीगणो के आवेदन पत्र पर किया गया। आवंटन आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का खेमली द्वारा दिनांक 28.01.06 को आवंटीत भूमि का कब्जा विपक्षीगणो को सिपुर्द किया जाकर दखलनामा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया है कि विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। मौके पर इनका कब्जा नहीं हैं। जिसकी ताईद में उनके द्वारा भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त खेमली का पर्चा मौका दिनांक 06.07.16 का संलग्न पत्रावली हैं। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''मौका अनुसार उक्त भुमि वर्तमान में पड़त होकर आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं हैं। गैर खातेदार आवंटी द्वारा आवंटन वर्ष से आज दिनांक तक इस भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं की गई हैं।'' संलग्न खसरा गिरदावरी संवत् 2062 से 2073 यानि कुल 12 वर्ष में भी भूमि जिन्स गिरदावरी में पड़त–पड़त अंकित हैं। जिससे भी जाहीर होता है कि आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा आवंटीत भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई नाही उसका कब्जा काश्त रहा।

बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। कभी भी फसल नहीं बोई गयी हैं। मौके पर कब्जा भी नहीं हैं।

विपक्षी द्वारा जो अपने जवाब/बहस में कथन किये गये है वे सत्य साबित नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या यह साबित होता है कि विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटन कमेटी की सलाह से उन्हे मौजा खेमली की आराजी नम्बर 4503/4498 रकबा 4 बिघा भूमि का किया गया आवंटन काबिले निरस्त हैं।

अतः विपक्षी दामोदरलाल पिता सुन्दरलाल ब्राम्हण व श्रीमती प्रेमबाई पत्नि दामोदर लाल ब्राम्हण निवासी खेमली को मौजा खेमली की आराजी नम्बर 4503/4498 रकबा 4 बिघा भूमि का दिनांक 21.11.05 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को प्रेषित कर लेख है कि राजस्व अभिलेख में आवंटीत भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जाकर भूमि को तहवील सरकार ली जावें। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी मावली को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर